राजस्थान सरकार
गृह विभाग

क्रमांक दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक 22.03.2020 तथा आदेश दिनांक 25.03.2020 में अंकित आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं को लाने ले जाने तथा आवश्यक वस्तुओं की डोर–डू–डोर/होम डिलीवरी निर्बाध रूप से करने हेतु निम्न Online Delivery Services/E-Commerce Service Providers कार्यरत रहेगें तथा लॉक–डाउन से मुक्त रहेगें –

1. Amazon
2. Flipkart
3. Big Bazar
4. Metro Cash & Carry
5. Zomato
6. Swiggy
7. Big Basket
8. Groffers
9. D-Mart

उक्त Online Delivery Services/E-Commerce Service Providers के निम्न वाणिज्यिक संस्थान कार्यरत रहेगें तथा लॉकडाउन से मुक्त रहेगें –

1. Warehouses
2. Fulfillment Centers
3. Delivery Stations
4. Dark Stores
5. Storage Houses
6. Sort Centers

उक्त Online Delivery Services/E-Commerce Service Providers के सभी ट्रक/मिनी ट्रक, लोडिंग वाहन, डिलीवरी वाहन, डिलीवरी टू–व्हीलर्स भी लॉक–डाउन से मुक्त रहेगें तथा राज्य की सीमा पर रोके गये सभी वाहनों को गतंव्य स्थल पर जाने दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य की सीमा पर रोके गए वाहनों तथा Warehouse आदि में आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सामान भी हो सकता है, अतः आवश्यक आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सामान होने पर भी वाहनों को गतंव्य तक जाने दिया जाएगा तथा Warehouse आदि को संचालित करने से रोका नहीं जाएगा।

उक्त Online Delivery Services/E-Commerce Service Providers के सभी कार्मिक (Warehouse etc तथा Home Delivery Boys) भी आवागमन कर सकेगें तथा डिलीवरी करने तथा ऑफिस/वेयरहाउस वापिस आने हेतु लॉक–डाउन से मुक्त रहेगें।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
जयपुर, दिनांक 25.03.2020

प्रतिलिपि –

1. सचिव, मान्नीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
3. प्रमुख सचिव, मान्नीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
4. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, समस्त मान्नीय मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण।
5. उपसचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान।
8. समस्त संभागीय आयुक्त / महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
9. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
10. समस्त जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त।
11. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करावें।

(पी. सी. बेरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह